बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संख्याः 11/नि०1–03/10 (अंश).......... पटना, दिनांक ...., 2017

प्रस्तावना।– यतः संविधान की 74वीं संशोधन को ध्यान में रखते हुए और नगर निकायों की भूमिका को महत्त्वपूर्ण मानते हुए शिक्षकों के नियोजन का कार्य नगर निकाय संस्थाओं को पहले ही हस्तगत कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के पद पर नियोजन की जिम्मेवारी नगर निकायों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजनार्थ विशेष योजना के अधीन, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षक के सवैतनिक प्रशिक्षण के संबंध में, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करना आवश्यक एवं समीचीन है;

इसलिए अब, भारत–संविधान के अनुच्छेद–243 बी सहपठित बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा–45, 47 (4) एवं 419 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल, बिहार नगर निकाय–माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–** (1) यह नियमावली "बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्ते) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. **उक्त नियमावली 2006, के नियम 8 के उपनियम (v) का प्रतिस्थापन।–**

उक्त नियमावली, 2006 के नियम 8 का उप नियम (v) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

" (v) नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा अवधारित दिशा निदेश के अनुसार आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रशैक्षणिक संस्थान में नामांकित बी०एड० प्रशिक्षुओं को सवैतनिक अवकाश सत्रवार स्वीकृत किया जाएगा। यह सवैतनिक अवकाश बी०एड० के प्रशिक्षण सत्र 2015–17 से देय होगा। प्रशिक्षण अवधि में सवैतनिक अवकाश इस शर्त्त के साथ स्वीकृत किया जाएगा कि वे प्रशिक्षण के उपरान्त कम से कम पाँच वर्षों तक शिक्षण का कार्य करेंगे। विनिश्चित अवधि के पूर्ण होने के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति में, प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतनादि की राशि उसे सरकार के कोषागार में

जमा करनी होगी। संबंधित शिक्षक को इस आशय का बॉड देना आवश्यक होगा। वसूलनीय राशि लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(आर०एल० चोंग्थू)
सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 11/नि०1–03/10 (अंश) 2238 पटना, दिनांक :– 21/9/17

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी विभागीय सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय)/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं सभी पंचायत सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.9.17
सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।